

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक-4/एम.आर./रा0मे0बोर्ड/सेल-2/2017/ 1208 भोपाल, दिनांक 18/10/2017
प्रति,

- ✓ 1. समस्त क्षेत्रीय संचालक
स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।

विषय:- **The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RoPwD Act, 2016) को लागू करने विषयक।**

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की छायाप्रति का अवलोकन करे। भारत सरकार द्वारा अधिनियम में निःशक्तता के प्रकार 9 से बढ़ाकर 19 कर दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिनियम में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्चित करे।

संलग्न -

(डॉ० जे.एल. मिश्रा)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड एवं
संचालक चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक-4/एम.आर./रा0मे0बोर्ड/सेल-2/2017/
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक / /2017

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर सादर सुचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर सादर सुचनार्थ प्रेषित।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय की ओर सादर सुचनार्थ।
4. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड एवं
संचालक चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश